न्यायालय सहायक कलक्टर(एर.. ... ...)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 14 / 2021

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

वादी	प्रतिवादीगण
लक्ष्मीदेवी पत्नि खेताराम जाति कालबेलिया निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. जबरनाथ पुत्र कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर 2. तेजाराम पुत्र राजूराम जाति मेघवाल निवासी लूणाकला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. बाबूनाथ पुत्र कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी कौशलू तहसील बालोतरा 4. वगतनाथ पुत्र कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी 5. बालकनंद चेला पूर्णानंद पूजारी जोगानन्द मठ भलखाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1 श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादीगण एकतरफा व प्रतिवादी सं. 6 के पैरोकार उप.।.

निर्णय

दिनांक– 24.07.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– भलखाडी पटवारी क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 48 रकबा 0.6068 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 10.01.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– भलखाडी पटवारी क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 48 रकबा 0.6068 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
सिणधरी

भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	[illegible]
1	लक्ष्मीदेवी पत्नी खेताराम जाति कालबेलिया सा. पायला कला खातेदार	48	0.4045	बा.दो.	–	हरा
2	1.जबरनाथ पुत्र कालूनाथ हि. 2/15 जाति कालबेलिया सा. सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर खातेदार 2.तेजाराम पुत्र राजूराम हि. 3/5 जाति मेगवंशी सा. लूणाकला खातेदार 3.बाबूनाथ पुत्र कालूनाथ हि. 2/15 जाति कालबेलिया सा. कोशलू खातेदार 4.वगतनाथ पुत्र कालूनाथ हि. 2/15 जाति कालबेलिया सा. सणपा मानजी खातेदार	48	0.2023	बा.दो.	–	गुलाबी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :- श्री जगदीशसिंह आशिया आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

लक्ष्मीदेवी पत्नि खेताराम जाति कालबेलिया निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. जबरनाथ पुत्र कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर
2. तेजाराम पुत्र राजूराम जाति मेघवाल निवासी लूणाकला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
3. बाबूनाथ पुत्र कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी कौशलू तहसील बालोतरा
4. वगतनाथ पुत्र कालूनाथ जाति कालबेलिया निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी
5. बालकनंद चेला पूर्णानंद पूजारी जोगानन्द मठ भलखाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:-,53.188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 14/2021

निर्णय दिनांक :-24.07.2024

वादीगण की ओर से **श्री बाबुलाल विशनोई** अधिवक्ता एवं राज. पैरोकर की उपस्थिति व शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.07.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:- वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.07.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 24.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	